

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय— सहायक उद्योग निदेशक (रे0), चाईबासा

कोकून नीलामी सूचना— 01/2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों के द्वारा प्रथम बीजागार किया गया है, जिसका कोकून (Emerged and Unemerged cocoon) का नीलामी किया जाना है। उक्त के निमित्त इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से दिनांक— 27.09.2025 के अपराह्न 03.00 बजे तक निम्नांकित नियम एवं शर्तों के आधीन सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कार्यालय में कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि— 27.09.2025 अपराह्न 03.00 बजे तक
2. कोटेशन जमा करने का स्थान— सहायक उद्योग निदेशक (रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा
3. कोटेशन खोलने की तिथि— दिनांक— 27.09.2025 अपराह्न 03.30 बजे
4. EMD की राशि— रू0 135,000.00 (एक लाख पैंतीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से बना होना चाहिये।
5. सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा एवं अधिकतम दर वाले क्रयकर्ता (इकाई/प्रतिष्ठान) का चयन किया जायेगा।
6. चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को 07 दिनों के अन्दर संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र को कोकून की गणना के अनुसार राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
7. इस नीलामी सूचना को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोट:— नीलामी से संबंधित नियम— शर्तें एवं विवरण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकता/प्राप्त किया जा सकता हैं। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेवसाईट —www.adicbsa.com एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची की वेवसाईट—<https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

ह0/—

सहायक उद्योग निदेशक (रे0),
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रे0), चाईबासा
कोकून नीलामी सूचना- 01/2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 का में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों के द्वारा प्रथम बीजागार किया किया गया है, जिसका कोकून (Emerged and Unemerged cocoon) का नीलामी किया जाना है। उक्त के निमित्त इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से दिनांक- 27.09.2025 के अपराह्न 03.00 बजे तक निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। स-समय प्राप्त कोटेशन को दिनांक- 27.09.2025 अपराह्न 03.30 बजे सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में नीलामी हेतु गठित समिति के समक्ष सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। कोटेशन जमा करने से संबंधित नियम-शर्तों एवं संबंधित अग्र परियोजना केन्द्रों की सूची एवं केन्द्र बार कोकून की कूल संख्या (परिशिष्ट- ख) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें

1. इकाई/प्रतिष्ठान जी0 एस0 टी0 निबंधित होना चाहिये।
2. इकाई/प्रतिष्ठान को स्वयं संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र जाकर नीलामी सूचना प्रकाशन से कोटेशन जमा करने से एक दिवस पूर्व तक कार्य अवधि में कोकून का अवलोकन कर सकते हैं।
3. कोटेशन के साथ अग्रधन (EMD)के रूप में प्रति अग्र परियोजना केन्द्र रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार) की दर से कुल रू0 1,35,000.00 (एक लाख पैंतीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट सहायक उद्योग निदेशक (रे0) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भुगतये होगा।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से बना होना चाहिये।
5. तकनीकी कागजात/शर्तें परिशिष्ट- क के अनुसार संलग्न करना होगा एवं लिफाफ के उपर तकनीकी कागजात अंकित होना चाहिये।
6. वित्तीय कागजात अलग लिफाफ में देना है जिसमें सिर्फ कोकून (Emerged and Unemerged cocoon) का दर अग्र परियोजना केन्द्र बार अंकित करना है।
7. कार्यालय द्वारा (Emerged and Unemerged cocoon) कोकून का RMB से assessment कराकर कोटिवार न्यूनतम दर का निर्धारित किया गया है जो निम्नवत है-

बीजागार कोकून का RMB द्वारा निर्धारित कोटिवार न्यूनतम मुल्य		
कोटि	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति पीस)	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति हजार कोकून)
डावा RC ग्रेड- I	5.59	5590.00
डावा URC ग्रेड- I	2.40	2400.00
डावा URC ग्रेड- II	1.82	1820.00
डावा URC ग्रेड- III	1.41	1410.00

8. अग्र परियोजना केन्द्रों में सीमित मात्रा में रैटकट/कट कोकून भी है, जो डावा URC ग्रेड- III की संख्या में सम्मिलित है। प्रत्येक केन्द्र में रैट कट कोकून की संख्या कोकून की कुल संख्या का 1% के अन्तर्गत है।
9. तकनीकी एवं वित्तीय कागजात के सीलबंद लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफ में सीलबंद कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।
10. तकनीकी कागजात सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
11. चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को छोड़कर शेष इकाई/प्रतिष्ठान को उसी दिन अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
12. नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा विक्रय दर निर्धारण के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र को कोकून की गणना का मिलान कर राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
13. यदि 07 दिनों के अन्दर राशि का जमा नहीं किया जाता है तो दुसरे इकाई/प्रतिष्ठान को निर्धारित दर पर विक्रय कर दी जायेगी एवं EMD की पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को स्वयं के व्यय पर अग्र परियोजना केन्द्रों में कोकून की पैकिंग करानी होगी तथा उठाव करना होगा।
15. केन्द्र में कोकून की राशि जमा करने के बाद ही कोकून का उठाव करना होगा तथा राशि जमा करने के 15 दिन के अन्दर केन्द्र से कोकून का उठाव कर लेना सुनिश्चित करना होगा।
16. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी को नीलामी सूचना को रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/-
सहायक उद्योग निदेशक (रे0),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

परिषिष्ट- क-

इकाई/प्रतिष्ठान को तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात को संलग्न करना अनिवार्य है-

1. पैन कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
2. जी0 एस0 टी0 निबंधन की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. अग्रधन (EMD) के रूप में रू0 135,000.00 (एक लाख पैंतीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से बना होना चाहिये।
4. Trade License अथवा संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति यदि हो तो।
5. अद्यतन जी0 एस0 टी0 का रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति (छः माह से पूर्व का मान्य नहीं)।
6. गत वर्ष (2024-25) का आयकर रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
7. इस आशय का नोटराईज्ड शपथ-पत्र कि- वे निलामी में सफल होने के बाद निर्धारित अवधि में कोकून की राशि जमा कर सभी संबंधित अग्र परियोजना केन्द्रों से कोकून का उठाव निश्चित रूप से कर लेंगे।

ह0/-

सहायक उद्योग निदेशक (रे0),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

निंलामी किये जाने वाले प्रथम बीजागार का emerged एवं unemerged कोकून का केन्द्रवार एवं कोटिवार विवरण -

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	प्रथम बीजागार का emerged एवं unemerged कोकून का प्रकार/कोटि					RMB द्वारा बीजागार कोकून का assessment उपरान्त निर्धारित कुल न्यूनतम मूल्य	अभियुक्ति
		डावा RC ग्रेड- I	डावा URC ग्रेड- I	डावा URC ग्रेड- II	डावा URC ग्रेड- III	कुल		
1	अग्र परियोजना केन्द्र, हाटगम्हरिया	20500	307500	45100	36900	410000	986706	
2	अग्र परियोजना केन्द्र, डेबरासाई	18578	191088	29194	26540	265400	653016	
3	अग्र परियोजना केन्द्र, नोवामुण्डी	13270	193742	21232	37156	265400	630192	
4	अग्र परियोजना केन्द्र, चाईबासा	15486	163710	22123	19911	221230	547810	
5	अग्र परियोजना केन्द्र, मनोहरपुर	21232	191088	29194	23886	265400	664110	
6	अग्र परियोजना केन्द्र, खरसावां	40464	354060	65754	45522	505800	1259796	
7	अग्र परियोजना केन्द्र, भरमरिया	15929	191150	37168	21239	265486	659202	
8	अग्र परियोजना केन्द्र, चक्रधरपुर	23894	172566	34513	34513	265486	645396	
9	अग्र परियोजना केन्द्र, गोईलकेरा	21239	180530	29203	34513	265485	653810	
		190592	1945434	313481	280180	2729687	6700038	

कोकून की कुल संख्या- सताईस लाख उनतीस हजार छः सौ सतासी मात्र।

बीजागार कोकून का कोटि	न्यूनतम दर रू० में (प्रति पीस)	न्यूनतम दर रू० में (प्रति हजार कोकून)
डावा RC ग्रेड- I	5.59	5590.00
डावा URC ग्रेड- I	2.40	2400.00
डावा URC ग्रेड- II	1.82	1820.00
डावा URC ग्रेड- III	1.41	1410.00

ह० / -

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प० सिंहभूम, चाईबासा।